राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.17(18)नविवि/नियम/2021 जयपुर, दिनांक : 1 DEC 2021

आदेश

राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2021 में लिए गए निर्णयानुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभाग द्वारा जारी की गई भूमि आवंटन नीति–2015 में संशोधन कर नया बिन्दु सं. 5.10 निम्नानुसार जोडा जाता हैः–

"सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना (SSIP) 2021 के प्रावधानों के मध्यनजर योजना के तहत पात्र अलाभकारी संस्थाओं को निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में नगरपालिका क्षेत्रों में 2000 वर्गमीटर तक, नगरपरिषद क्षेत्रों में 1500 वर्गमीटर तक, नगर निगम क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय स्तर पर प्रत्यायोजित की जाती हैं।

उक्त आदेश मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 143/2021 दिनांक 24.11.2021 की अनुपालना में जारी किए गये हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
10. आयुक्त, उद्योग विभाग जयपुर।
11. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
12. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
13. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
14. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
15. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
16. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
17. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner